ए.

आशीष कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2018 की सिविल अपील संख्या 170-171) 31 जनवरी, 2018

बी.

[ए**.** के**.** सिकरी और अशोक भूषण**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनः

नियुक्ति-अस्वीकार-'मनोवैज्ञानिक' के पद पर नियुक्ति के लिए स्वामित्व-विज्ञापन-लिखित परीक्षा के बाद अपीलार्थी (उम्मीदवार) को सफल घोषित किया गया था-अपने दस्तावेजों के सत्यापन के समय, उसे बताया गया था कि वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उसके पास प्रशिक्षण योग्यता नहीं है अर्थात L.T./B.T.B.Ed. मनोविज्ञान के साथ स्नातक-अपीलार्थी द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज-विशेष अपील में और समीक्षा याचिका में भी आदेश की पुष्टि की गई-अपील पर कहा गयाःविज्ञापन को एल. टी./B.T.B.Ed के साथ मनोविज्ञान में स्नातक के लिए प्रदान करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है।-एक सामंजस्यपूर्ण पढ़ने का मतलब यह हो सकता है कि मनोविज्ञान में स्नातक या एल. टी./<आई. डी. 1. मनोविज्ञान के साथ पात्र है-सेवा नियम प्रदान करते हैं कि मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर पद के लिए योग्यता है और बी. एड केवल तरजीही योग्यता है-विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक पर्चे को रास्ता देना पड़ता है-अपीलार्थी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होने के नाते योग्यता को पूरा करता है और इसलिए मनोवैज्ञानिक के पद पर नियुक्त होने का हकदार है-जनजातीय विकास शिक्षा और कर्मचारी सेवा नियमावली, 1991।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** विज्ञापन को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि मनोविज्ञान में स्नातक के लिए **L.T./B.T. B. Ed** प्रदान किया जाए। स्नातक/एल**.** टी**./**बी**.** टी**.** बी**.** एड**.** शब्द सभी वैकल्पिक योग्यता हैं जो **"**मनोविज्ञान के विषय में**"** शब्द के साथ जोड़ दिए गए हैं।एक सामंजस्यपूर्ण पढ़ने का मतलब यह हो सकता है कि मनोविज्ञान के विषय में स्नातक या मनोविज्ञान के साथ बी**.** एड**.** करने वाला व्यक्ति पात्र है।जब पद मनोवैज्ञानिक का होता है**,** तो मनोविज्ञान के साथ स्नातक और प्रशिक्षण प्रमाणन यानी **L.T./B.T. B. Ed.** दोनों के साथ होना चाहिए।

जी.

एच.

695

696 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एस. सी. आर.

मनोविज्ञान।उत्तरदाताओं ने विज्ञापन की गलत व्याख्या करते हुए कहा है कि व्यक्ति के पास मनोविज्ञान के साथ**-**साथ **L.T./B.T. B. Ed.** दोनों के साथ स्नातक होना चाहिए जो कि सही नहीं लगता है।**[**पारस **14,15] [703-**डी**-**एफ**]2.** विज्ञापन में**,** विभिन्न योग्यताओं के संबंध में**, "**के**" (**या**) "**एलकेएफके**" (**के साथ**), "**वीएफकॉक**" (**या तो**)** और स्ट्रोक **"(/)"** शब्दों का उपयोग किया गया है।नियुक्ति प्राधिकारी स्ट्रोक **'(/)',** शब्द 'या'**,** 'या तो' और 'के साथ' के अर्थ से अच्छी तरह वाकिफ है जिसका उपयोग अक्सर योग्यताओं में किया जाता है जो विज्ञापन से स्पष्ट है।नियुक्ति प्राधिकरण ने 'के साथ' **(**एलकेएफके**)** शब्द का उपयोग किया**,** जब वह दोनों योग्यताओं को एक साथ चाहता था।जहाँ भी स्ट्रोक **'(/)'** का उपयोग किया गया है**,** इसका उपयोग किया गया था**,** जब किसी भी योग्यता का संकेत दिया गया था।**[**पैरा **17] [703-**जी**-**एच**; 704-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

3. उपरोक्त योग्यताओं से पहले**, "**मनोविज्ञान विषय में**"** शब्दों का उपयोग उपसर्ग के रूप में किया जाता रहा है**,** जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि सभी वैकल्पिक योग्यताओं का मनोविज्ञान विषय के साथ होना आवश्यक था**,** अर्थात मनोविज्ञान विषय में मनोविज्ञान/एल**.** टी**./**बी**.** टी**.** बी**.** एड**.** के साथ स्नातक।इसलिए**,** तीनों अर्थात स्नातक**,** एल**.** टी**.,** बी**.** टी**.** बी**.** एड**.** को मनोविज्ञान विषय में होना चाहिए।जिन व्यक्तियों ने मनोविज्ञान विषय के साथ **L.T./B.T. B. Ed.** किया है**,** वे मनोविज्ञान के साथ स्नातक व्यक्ति की तरह पात्र हैं**,** जो विज्ञापन का सादा और सरल अर्थ है।**[**पैरा **17] [705-**डी**-**ई**]**

डी.

ई.

4. जनजित्य विकास शिक्षा और कर्मचारिवेर्ग सेवा नियमावली **(1991** नियम**)** स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मनोवैज्ञानिक के लिए योग्यता मनोविज्ञान में एम**.** ए**.** है।बी**.** एड**.** एक तरजीही योग्यता है और आवश्यक योग्यता केवल मनोविज्ञान में एम**.** ए**.** है।नियमों में निर्धारित योग्यता आवश्यक योग्यता के रूप में **L.T./B.T. B. Ed.** के लिए प्रदान नहीं करती है।इस प्रकार **L.T./B.T. B. Ed.** का न होना उन्हें **1991** के सांविधिक नियमों के अनुसार पद के लिए अयोग्य नहीं बनाता है।अपीलार्थी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर है और इस प्रकार**, 1991** के नियमों में निर्धारित योग्यता को भी पूरा करता है।जब वैधानिक नियमों के तहत अपीलार्थी योग्यता को पूरा करता है**,** तो उसे नियुक्ति से इनकार करने का कोई अवसर नहीं होता है।**[**पैरा **20,21] [706-**एफ**-**जी**; 707-**बी**-**सी**]**

एफ.

जी.

5. विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है**,** उसे वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन को रास्ता देना होगा।इस प्रकार**,** वैधानिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए**,** ए

एच.

697

आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

अपीलार्थी योग्यता को पूरा करता है और पद के लिए चुने जाने के बाद**,** उसे नियुक्ति से इनकार करना मनमाना और अवैध है।**[**पैरा **22] [707-**सी**-**डी**]**

मलिक मजहर सुल्तान और अन्र बनामयू. पी. लोक सेवा

आयोग और अन्य। (2006) 9 एससीसी 507:[2006] 3 एस. सी. आर. 689-निर्भर।

बी.

6. मनोवैज्ञानिक के पद के लिए चुने जाने के बाद अपीलार्थी को विज्ञापन और नियमों की गलत व्याख्या पर नियुक्ति पत्र जारी करने से अवैध रूप से इनकार कर दिया गया था**,** इसलिए अपीलार्थी ने उसे मनोवैज्ञानिक के पद पर नियुक्त करने का निर्देश जारी करने का मामला बनाया है।**[**पैरा **23] [708-**बी**-**सी**]**

सी.

संदर्भित निर्णय

[2006] 3 एस**.** सी**.** आर**. 689** पैरा **22** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 170-171

डी.

2006 की विशेष अपील संख्या 446 में दिनांक 1 के निर्णय और आदेश और इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, यू. पी. में उच्च न्यायालय की 2012 की समीक्षा याचिका संख्या 354 (दोषपूर्ण) में 2 के निर्णय और आदेश से।

मुकेश के. गिरि, अंकित खेरा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

ई.

अजय कुमार मिश्रा, ए. ए. जी., सुश्री ऐश्वर्या पाठक, अक्षत कुमार, राजीव यादव, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1.ये दोनों अपीलें इलाहाबाद (लखनऊ पीठ), लखनऊ में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें अपीलार्थी की 2006 की विशेष अपील को खारिज करने के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को खारिज करने वाले फैसले को खारिज कर दिया गया है।पक्षकारों को अपील में निर्दिष्ट के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

एफ.

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

जी.

अपीलार्थी अन्य पिछड़ी जाति से है जिसने मनोविज्ञान के साथ स्नातक (बी. ए.) उत्तीर्ण किया है और कानपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर भी किया है।अपीलार्थी ने वर्ष 1997 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है।एक विज्ञापन दिनांकित 30.08.2001

एच.

698

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 1 एस सी आर।

ए.

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया था, जो निदेशक, समाज कल्याण विभाग और राज्य के अन्य विभागों के तहत विभिन्न पदों का विज्ञापन करता था। विज्ञापन में मनोवैज्ञानिक (03 पद) के पद के लिए भी भर्ती की गई थी।अपीलार्थी ने 'मनोवैज्ञानिक' के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।अपीलार्थी को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था।अपीलार्थी लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ और उसे सफल घोषित किया गया और योग्यता सूची में शामिल किया गया।अपीलार्थी को दिनांक 02.05.2003 का एक पत्र जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया था।अपीलार्थी 12.05.2003 पर सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुआ।जब अपीलार्थी 12 मई को पेश हुआ, तो उसे सूचित किया गया कि वह पात्र नहीं है और 'मनोवैज्ञानिक' के पद के लिए उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है।अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 02.06.2003 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।अपीलार्थी को नियुक्ति नहीं दी गई है; इसलिए, उन्होंने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए एक रिट याचिका दायर कीः

बी.

सी.

“

प्रार्थना करें

डी.

(I) याची को मनोवैज्ञानिक के पद पर नियुक्त करने के लिए पक्षकारों को आदेश देते हुए अनिवार्य प्रकृति की एक रिट सहित एक रिट आदेश या निर्देश जारी करता है, जिसके लिए याची पूरी तरह से जिम्मेदार है।

विज्ञापन के अनुसार पात्र और योग्य

समोह 'जी. ए.' में सीधी भर्ती के लिए प्रकाशित।(II) एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें परमादेश की प्रकृति का एक रिट शामिल हो जो इसके विपरीत को मनोवैज्ञानिक के पद पर किसी अन्य उम्मीदवारी को नियुक्त नहीं करने का आदेश देता है जिसके लिए याची पूरी तरह से पात्र है।(III) याची को किसी भी तरह से परेशान और पीड़ित नहीं करने के लिए विपरीत पक्षों को आदेश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें।

ई.

एफ.

(IV) ऐसे अन्य आदेश/आदेश जारी करें जो मामले की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उचित समझे।

जी.

(V) याची के पक्ष में याचिका का व्यय अधिनिर्णय करें।”

3. रिट याचिका में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक जवाबी हलफनामा दायर करने और अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व दिनांक 02.06.2003 पर पारित आदेश की प्रति को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।अपीलार्थी ने 2004 का एक अवमानना आवेदन No.182 भी दायर किया जिसमें निदेशक, ए.

एच.

699

आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।] ए.

समाज कल्याण को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए 19.04.2004 दिनांकित एक आदेश पारित किया गया था।अपीलार्थी ने रिट याचिका में संशोधन के लिए प्रार्थना की, जिसमें 19.04.2004 दिनांकित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया, जिसमें प्रार्थना को जोड़ने की अनुमति दी गई थी।विद्वान सिंगल जज ने अपने दिनांकित 18.05.2006 के फैसले से रिट याचिका को खारिज कर दिया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी द्वारा जवाबी हलफनामे में लिए गए मामले को स्वीकार कर लिया कि अपीलार्थी इस पद के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास प्रशिक्षण योग्यता यानी L.T./B.T.B.Ed नहीं है। अपीलार्थी ने विशेष अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया।इसके बाद दायर समीक्षा आवेदन को भी खारिज कर दिया गया।4. हमने अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश के. गिरि और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को सुना।

बी.

सी.

5. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी 'मनोविज्ञान' में स्नातक और स्नातकोत्तर होने के कारण 'मनोवैज्ञानिक' के पद के लिए पूरी तरह से पात्र था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विज्ञापन को उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से पढ़ा गया है।मनोविज्ञान में स्नातक पद के लिए योग्य था और विज्ञापन में मनोविज्ञान और L.T./B.T. B. Ed के साथ स्नातक के रूप में योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि समाज कल्याण विभाग में मनोवैज्ञानिक के पद को सरकारी आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा मृत संवर्ग घोषित किया गया था, लेकिन कहा कि पदों को बाद के सरकारी आदेश दिनांक 17.08.2010 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था।वे प्रस्तुत करते हैं कि मनोवैज्ञानिक का पद एक शिक्षण पद नहीं है; इसलिए, प्रशिक्षण योग्यता होना आवश्यक नहीं था।विद्वान अधिवक्ता

ने जनजातीय विकास शिक्षा और कर्मचारिवेर्ग सेवा नियमावली, 1991 नामक नियमों पर भी भरोसा किया है, जिसके अनुसार, वे प्रस्तुत करते हैं कि मनोवैज्ञानिक के लिए प्रशिक्षण योग्यता आवश्यक योग्यता नहीं है और नियम के अनुसार न्यूनतम योग्यता मनोविज्ञान में एम. ए. है।बी. एड. केवल बेहतर योग्यता है।वे प्रस्तुत करते हैं कि मनोवैज्ञानिक का आवश्यक कार्य छात्रों को शैक्षिक परामर्श प्रदान करना और अन्य कर्तव्य थे और यह अनिवार्य रूप से एक शिक्षण पद नहीं था।वह प्रस्तुत करता है कि मनोविज्ञान स्नातक या एल. टी./बी. टी. बी. एड. विषय में उल्लिखित विज्ञापन।

डी.

ई.

एफ.

जी.

6. अपर महाधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क देते हैं कि उत्तरदाताओं ने अपीलार्थी को योग्य नहीं ठहराया है।वह प्रस्तुत करता है कि विज्ञापन के अनुसार आवश्यक योग्यता L.T./B.T.B.Ed के साथ मनोविज्ञान में स्नातक है। वह प्रस्तुत करता है कि जनजातीय विकास शिक्षा

एच.

और केरमचारीवेर्ग सेवा नियमावली, 1991, जिसे इसके बाद 1991 नियम के रूप में संदर्भित किया गया है, ने क्षेत्रों को नियंत्रित किया।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि अपीलार्थी को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यह पता चलने पर कि वह भर्ती नियम की आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है, प्रत्यर्थी ने अपनी ओर से गलती को सुधारते हुए अपीलार्थी की नियुक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ते हुए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया।

बी.

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. विज्ञापन के सही आयात के संबंध में पक्षकारों में मतभेद हैं।अपीलार्थी का मामला यह था कि विज्ञापन के अनुसार मनोविज्ञान में स्नातक न्यूनतम योग्यता थी और L.T./B.T की योग्यता. B. Ed. स्वतंत्र योग्यता थी जिसे पूरा करने पर कौन सा उम्मीदवार योग्य था।विज्ञापन के लिए उम्मीदवार को योग्य बनाने के लिए L.T./B.T. B. Ed. के साथ मनोविज्ञान के साथ स्नातक की आवश्यकता नहीं है।जबकि प्रत्यर्थी का मामला यह है कि उम्मीदवार केवल तभी योग्य होगा जब वह मनोविज्ञान के साथ स्नातक हो और उसके पास L.T./B.T. B. Ed. हो। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि हालांकि अपीलार्थी को प्रवेश पत्र जारी किया गया था और लिखित और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति जारी नहीं की गई थी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि उनके पास L.T./B.T. B. Ed. योग्यता नहीं है। जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 4 (xiii) में यह दोहराया गया है कि भले ही विज्ञापन में कुछ अस्पष्टता हो, लेकिन नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार की जानी चाहिए जो इस मामले में 1991 के नियम हैं।काउंटर एफिडेविट के पैराग्राफ 4 (xiii) में बताए गए अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकालना उपयोगी हैः

सी.

डी.

ई.

“4.(xiii) यह आगे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि तर्क, भले ही यह स्वीकार किया जाता है कि विज्ञापन में कुछ अस्पष्टता थी, यहां याची को अपने पक्ष में गलत व्याख्या करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह सामान्य बात है कि नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार की जानी है जो इस मामले में जनजातीय विकास शिक्षा और कर्मचारिवेर्ग सेवा नियमावली, 1991 है।यह भी विनम्रता से प्रस्तुत किया जाता है कि यदि विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं में कोई अस्पष्टता थी, तो इसे भर्ती नियमों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

एफ.

जी.

.....

.....

.....

इसलिए, कानून ए की उपरोक्त तय स्थिति को बनाए रखते हुए

एच.

इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा यहां यह सबसे अधिक सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि याची को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनजाने में प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था और साथ ही साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी अधिकारियों को यह पता चलने पर कि याची भर्ती नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार पात्र नहीं था क्योंकि उसके पास निर्धारित आवश्यक एल. टी./B.T./B.Ed नहीं था, याची की नियुक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ते हुए अपनी ओर से गलती को सही ढंग से ठीक किया और उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया क्योंकि ऐसी नियुक्ति अमान्य होगी।"

बी.

सी.

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थी के पास प्रशिक्षित स्नातक की योग्यता होनी चाहिए और चूंकि उसके पास उक्त योग्यता नहीं है, इसलिए उसके दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।निर्णय के अंतिम भाग को उद्धृत करना उपयोगी हैः

".....तदनुसार याची के पास प्रशिक्षित स्नातक की योग्यता होनी चाहिए और चूंकि उसके पास उक्त योग्यता नहीं है, जो L.T.grade शिक्षक के पद के लिए योग्य है, इसलिए मेरा विचार है कि एल. टी. ग्रेड शिक्षक के पद पर नियुक्ति के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है।

डी.

ई.

याचिका खारिज की जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।"

10. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

".....विचाराधीन पद के लिए शैक्षिक योग्यता यह है कि उम्मीदवार को L.T./B.T./B.Ed होने की अन्य आवश्यक योग्यताओं के साथ मनोविज्ञान के विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातक होने की शर्त के साथ बी. एड. होने या बी. एड. प्रमाणपत्र या बी. एड. डिग्री होने की शर्त एक आवश्यक योग्यता है।यदि किसी उम्मीदवार के पास उपरोक्त किसी भी आवश्यक योग्यता नहीं है, तो वह चयन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा और न ही उसे नियुक्त किया जा सकता है।

एफ.

जी.

प्रासंगिक नियमों, अर्थात् जनजातीय विकास शिक्षा और कर्मचारिवेर्ग सेवा नियमावली, 1991 के तहत, जिसका एक संदर्भ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी दिया गया है।

एच.

यह दर्शाता है कि योग्यता के लिए मनोविज्ञान के विषय के साथ स्नातक की आवश्यकता होती है, L.T./B.T./B.Ed के साथ, जैसा भी मामला हो।..... ....

जो भी हो, उस विज्ञापन में, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने निर्धारित योग्यता के लिए आवेदन किया था, वह L.T./B.T./B. Ed. डिग्री के साथ मनोविज्ञान विषय के साथ स्नातक था।ऐसा होने पर अपीलार्थी आवेदन के समय पूरी तरह से जानता था कि उसके पास विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ हैं।यदि वह ऐसी योग्यताओं के विवरण से व्यथित था, तो उसे आवेदन करने से पहले उक्त विज्ञापन कार्यक्रम को चुनौती देने की बेहतर सलाह दी जा सकती थी, लेकिन एक बार जब वह बिना किसी विरोध के उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन कर देता है तो वह यह नहीं कह सकता कि ये शर्तें अवैध रूप से रखी गई थीं।"

बी.

सी.

11. अपीलार्थी विज्ञापन के साथ-साथ 1991 के नियमों को भी रिकॉर्ड में लाया है।विज्ञापन 2013 के I.A.No.2 के साथ अनुलग्नक ए-1 के रूप में दाखिल किया गया है।विज्ञापन हिंदी समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में जारी किया गया था और समाचार पत्र के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी भी अनुलग्नक ए-1 के पृष्ठ 24 पर संलग्न है।अंग्रेजी में अनुवादित प्रति पृष्ठ 6 पर भी संलग्न की गई है।हम वर्तमान मामले में मनोवैज्ञानिक के पद को लेकर चिंतित हैं।इसलिए, उपरोक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता का उल्लेख करना उपयोगी है।

डी.

ई.

12. मूल विज्ञापन स्थानीय भाषा में हिंदी में होने के कारण, स्थानीय भाषा के विज्ञापन की उक्त सामग्री पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए थी:

एफ.

1	मनोवैज्ञानिक 03	18 से 35 वर्ष	4500- 7000	मनोविज्ञान विषय में स्नातक/ एल.टी./ बी.टी. बी.एड.। अधिमानी अर्हता :

जी.

एच.

आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

13. मनोवैज्ञानिक के पद के संबंध में अनुलग्नक ए-1 के पृष्ठ 6 पर विज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार हैः

1	मनोवैज्ञानिक-03	18-35 वर्षों	4500-7000	मनोविज्ञान विषय में मनोविज्ञान/एल. टी./बी. टी. बी. एड में स्नातक। वरीयता योग्यताः 1.मनोविज्ञान ब्यूरो, इलाहाबाद या भारत सरकार या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से मार्गदर्शन मनोविज्ञान में डिप्लोमा, 2.हिंदी में काम करने का अनुभव

बी.

सी.

14. मूल विज्ञापन जो स्थानीय भाषा में है, उसे ध्यान से पढ़ने से संकेत मिलता है कि जो निर्धारित किया गया था, वह था, "मनोविज्ञान विषय स्नातक/एल. टी./बी. टी. बी. एड"। स्नातक और L.T./B.T. B. Ed. के बीच स्ट्रोक का उपयोग इंगित करता है कि सभी वैकल्पिक योग्यता थीं।विज्ञापन को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि मनोविज्ञान में स्नातक के लिए L.T./B.T. B. Ed. प्रदान किया जाए जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पढ़ा गया है और प्रत्यर्थी द्वारा तर्क दिया गया है।

डी.

15. स्नातक/एल. टी./बी. टी. बी. एड. शब्द सभी वैकल्पिक योग्यता हैं जो "मनोविज्ञान के विषय में" शब्द के साथ जोड़ दिए गए हैं।एक सामंजस्यपूर्ण पढ़ने का मतलब यह हो सकता है कि मनोविज्ञान के विषय में स्नातक या मनोविज्ञान के साथ बी. एड. करने वाला व्यक्ति पात्र है।जब

पद मनोवैज्ञानिक का होता है, तो मनोविज्ञान के साथ स्नातक और प्रशिक्षण प्रमाणन यानी L.T./B.T. B. Ed. दोनों को भी मनोविज्ञान के साथ होना चाहिए।उत्तरदाताओं ने विज्ञापन की गलत व्याख्या करते हुए कहा है कि व्यक्ति के पास मनोविज्ञान के साथ-साथ L.T./B.T. B. Ed. दोनों के साथ स्नातक होना चाहिए जो कि सही नहीं लगता है।16. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ अपीलार्थी को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था और उसका नाम योग्यता सूची में शामिल किया गया था।प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही उन्हें इस आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था कि वह विज्ञापित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, जबकि उन्होंने विज्ञापित योग्यता को पूरा किया है।17.विज्ञापन के अर्थ को स्वीकार करने का एक और कारण है जैसा कि ऊपर देखा गया है।विज्ञापन में, विभिन्न योग्यताओं के संबंध में, "के" (या) "एलकेएफके" (के साथ), "वीएफकॉक" (या तो) और स्ट्रोक "(/)" शब्दों का उपयोग किया गया है।नियुक्ति प्राधिकारी अच्छी तरह से जानता है कि

ई.

एफ.

जी.

एच.

स्ट्रोक '(/)', शब्द 'या', 'या तो' और 'के साथ' का अर्थ है जिसका उपयोग अक्सर योग्यताओं में किया गया है जो विज्ञापन से स्पष्ट है अर्थात अनुलग्नक ए-1।नियुक्ति प्राधिकरण ने 'एलकेएफके' के साथ 'शब्द का उपयोग किया, जब वह दोनों योग्यताओं को एक साथ चाहता था।जहाँ भी स्ट्रोक '(/)' का उपयोग किया गया है, इसका उपयोग तब किया जाता था जब किसी भी योग्यता का संकेत दिया जाता था।विज्ञापन अनुलग्नक ए-1 में विभिन्न पदों के लिए योग्यताएं हैं और कई योग्यताओं में स्ट्रोक (/) का उपयोग किया गया है।उन योग्यताओं पर एक नज़र स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि स्ट्रोक (/) का उपयोग अन्य योग्यताओं में किया गया था जो एक या दोनों योग्यताओं को दर्शाता है।मनोवैज्ञानिक के पद के लिए निर्धारित योग्यता के अलावा कुछ योग्यताओं को निकालना उपयोगी है जहां स्ट्रोक (/) का उपयोग किया गया था।मद सं. 5-ग्रह मदर, मद सं. 6-करमशालाल प्राशिक्षक फाउंडरी शॉप/ब्लैक स्मिथ शॉप, मद सं. 16-सिलाई प्रशिक्षक, मद सं. 16-संगीत शिक्षक और मद सं. 17-सिलाई प्रशिक्षक में योग्यता में स्ट्रोक (/) का उपयोग नीचे दिया गया है:-

बी.

सी.

जी राह एम अन्य- 0 2	18-3 5 वर्षों	3 20 0- 4 90 0	इंटर मेडी ईट परीक्षा में एच. ओ. एम. ई. एस. साइंस के साथ उत्तीर्ण हुए। ई. एस. एस. एस. एन. सी. ई. एस. एस. एस

पी-02				जाता है। जी का प्रमाण पत्र। एस. टी. एस. तीन वर्षों के लिए जी की सह-शाखा शाखा या सी. ए. टी. आई. सी. ए. टी से। आई. टी. आई./आई. टी. आई. एफ. रोम कॉन नेड बी रैंच या पी. ऑलिटेक्निक सी. का डी. आई. पी. लो. एम. ए। ई एसेंशियल योग्यताः प्रमाण पत्र को पढ़ने के लिए आपको तीन शब्द चाहिए।
	11. S evi ng Tr ainer (एन एटियन अल बी एगर्स हो एम ई)-0 1	-करें -	3 05 0- 4 59 0	पी. एस. ई. डी. ई. डी. ई. डी. ई./ए पी. पी. रेन्टी सी. ई. सी. ई. ई. आर. टी. आई. ई. डी. ई./ए पी. पी. रेन्टी सी. ई. सी. ई. सी. ई.

				सी. ई.
16. एम यूसिक टी ईचर-0 3	-करो -	4 00 0- 6 00 0	इंटर मेडिया ईट एम एम यूसिक कंपनी लीज या सी एर्ट आई. एफ. ए. टी./डी. पी. एल. एम. ए. आर. इकोग से पारित किया गया जिसे जी ओवे आर. एन. एम. एंट द्वारा निष्पादित किया गया।	

5.

डी.

6.

ई.

एफ.

जी.

एच.

705

आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

	17. सिलाई प्रशिक्षक-01	-करो -	-डी- इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष और संबंधित व्यापार, प्रशिक्षु/प्रमाणपत्र या डिप्लोमा में आई. टी. आई.। परीक्षा शुल्कः सामान्य श्रेणी 60/- अन्य पिछड़ा वर्ग 40/-,

			अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति 25/-

बी.

सी.

उपरोक्त योग्यताओं के अवलोकन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि स्ट्रोक (/) का उपयोग योग्यता के संबंध में किया गया था, वैकल्पिक रूप से, यानी, एक या दोनों में से एक।इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि स्नातक/एल. टी./बी. टी. बी. एड. के बीच स्ट्रोक (/) का उपयोग एक ही पंक्ति में था जिसका अर्थ है एक या दोनों।यह ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त योग्यताओं से पहले, "मनोविज्ञान विषय में" शब्दों का उपयोग उपसर्ग के रूप में किया गया है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि सभी वैकल्पिक योग्यताओं का मनोविज्ञान विषय के साथ होना आवश्यक था, अर्थात मनोविज्ञान विषय में मनोविज्ञान/एल. टी./बी. टी. बी. एड. के साथ स्नातक।इसलिए, तीनों अर्थात स्नातक, एल. टी., बी. टी. बी. एड. को मनोविज्ञान विषय में होना चाहिए।वे व्यक्ति जिन्होंने मनोविज्ञान विषय के साथ L.T./B.T. B. Ed. किया है, वे मनोविज्ञान के साथ स्नातक व्यक्ति की तरह पात्र हैं, जो विज्ञापन का स्पष्ट और सरल अर्थ है जिसे राज्य के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी याद किया है।

डी.

पी रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीई ऑफ़ जीआर आह

पी एएसएस डी यू से।पी. एम. अध्याय एक संस्थान इसे टी द्वारा पहचाना जाता है

ई.

जी.एस.टी.एस. एम से तीन साल के लिए

18.डिवीजन बेंच ने अपने विचार के समर्थन में विज्ञापन की व्याख्या निम्नलिखित तरीके से की है:-

यह जी का उदाहरण है।आई.टी.आई./आई. टी. आई.

एफ.

ई एसेंशियल योग्यताःतीन तीन

“.....अन्यथा भी, यदि अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता की व्याख्या को सही माना जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि उम्मीदवारों का एक अलग समूह होगा, जिनके पास मनोविज्ञान विषय के साथ बी. एड. की डिग्री है और अन्य जो मनोविज्ञान के साथ बी. ए. नहीं हैं, लेकिन यदि वे बी. एड. हैं या जिनके पास L.T./B.T. प्रमाण पत्र हैं, तो वे नियुक्ति के हकदार होंगे।” डिवीजन बेंच का उपरोक्त दृष्टिकोण कि अपीलार्थी की व्याख्या को स्वीकार करने का

मतलब यह होगा कि उम्मीदवारों का अलग-अलग समूह है, जिनके पास बी. एड है। मनोविज्ञान विषय के साथ डिग्री और अन्य जो मनोविज्ञान के साथ बी. ए. नहीं हैं, लेकिन यदि

आई. टी.

जी.

एच.

706

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 1 एस सी आर।

वे बी. एड. हैं या जिनके पास L.T./B.T प्रमाण पत्र हैं, वे नियुक्ति के हकदार होंगे।उपरोक्त दृष्टिकोण उस व्याख्या का समर्थन नहीं करता है, जिसे हमने मनोवैज्ञानिक के लिए उल्लिखित योग्यताओं पर रखा है अर्थात स्नातक L.T./B.T. बी. एड. को "मनोविज्ञान के विषय में" के साथ जोड़ा गया था।इस प्रकार, उम्मीदवारों के अलग-अलग समूह होने का कोई सवाल ही नहीं है।सभी उम्मीदवार, जिनके पास स्नातक/एल. टी./बी. टी. बी. एड. के विषय के रूप में मनोविज्ञान है, वे पद के लिए पात्र थे और वे सभी एक वर्ग बनाते हैं, यानी वे, जिन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन किया है।अतः उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

19. इस न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में भी उक्त योग्यताओं को प्रत्यर्थी द्वारा मनोविज्ञान में स्नातक के रूप में पढ़ा जा रहा है। अपीलार्थी के जवाबी हलफनामे के साथ 1991 के नियमों को अनुलग्नक पी-1 के रूप में दायर किया गया है।यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नियमों की अनुसूची में, मनोवैज्ञानिक के पद को पृष्ठ 166 पर संदर्भित किया गया है; 1991 के नियमों की अनुसूची में उल्लिखित योग्यता को उद्धृत करना प्रासंगिक है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

सी.

डी.

एस. नं.	पद का नाम	पोस्ट टी की संख्या कुल प्रति एमपी	भर्ती का स्रोत	सीधी भर्ती के लिए पात्रता	आयु न्यूनतम।	सीमा
10	साइको लॉजिस्ट	4	4	8	आयोग के माध्यम से	मनोविज्ञान में एम. ए.	21

					सीधे	अधिमानतः बी. एड या शिक्षण विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा।	

ई.

एफ.

20. उपरोक्त नियम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मनोवैज्ञानिक के लिए योग्यता मनोविज्ञान में एम. ए. है।ऐसा कोई अन्य कॉलम नहीं है जिसमें मनोवैज्ञानिक को पूरे नियम में पढ़ा जा सके।बी. एड. एक तरजीही योग्यता है और आवश्यक योग्यता 1991 के नियमों के अनुसार मनोविज्ञान में केवल एम. ए. है।यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1991 के नियमों का उल्लेख विद्वान है, लेकिन उन्होंने कहा कि 1991 के नियम प्रशिक्षित स्नातक के रूप में योग्यता को L.T./B.T. B. Ed. के साथ निर्धारित करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश की उपरोक्त टिप्पणियां 1991 के नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए टिकाऊ नहीं हैं, जैसा कि ऊपर निकाला गया है।

जी.

एच.

707

आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [अशोक भूषण, जे।] ए.

ए.

21. राज्य द्वारा इस न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में, 1991 के नियमों को भर्ती को विनियमित करने वाले प्रासंगिक नियमों के रूप में स्वीकार किया गया है जैसा कि ऊपर निकाले गए पैराग्राफ xiii में उल्लेख किया गया है।नियमों में निर्धारित योग्यता आवश्यक योग्यता के रूप में L.T./B.T. B. Ed. के लिए प्रदान नहीं करती है।इस प्रकार L.T./B.T. B. Ed. का न होना उन्हें 1991 के सांविधिक नियमों के अनुसार पद के लिए अयोग्य नहीं बनाता है। अपीलार्थी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर है और इस प्रकार, 1991 के नियमों में निर्धारित योग्यता को भी पूरा करता है।जवाबी हलफनामे में प्रत्यर्थी स्वयं इस मामले के साथ आया था कि नियुक्ति वैधानिक नियमों के अनुसार की जानी है।जब वैधानिक नियम, 1991 के तहत, अपीलार्थी योग्यता को पूरा करता है; उसे नियुक्ति से इनकार करने का कोई अवसर नहीं है।

बी.

सी.

22. विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन को रास्ता देना होगा।इस प्रकार, वैधानिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए, अपीलार्थी योग्यता को पूरा करता है और पद के लिए चुने जाने के बाद उसे नियुक्ति से इनकार करना मनमाना और अवैध है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब विज्ञापन और वैधानिक नियमों में भिन्नता होती है, तो यह वैधानिक नियम होते हैं जो प्राथमिकता लेते हैं।इस संदर्भ में, इस निर्णय में संदर्भ दिया गया है

डी.

पैमाना

मलिक मजहर सुल्तान और अन्र के मामले में न्यायालय। बनाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य, 2006 (9) एस. सी. सी. 507।अनुच्छेद 21

15-590-

626-ई. बी.-18 -

निर्णय उपरोक्त प्रस्ताव को निर्धारित करता है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

-780-इब -

ई.

860 (इससे पहले

“21. वर्तमान विवाद उत्पन्न हो गया है क्योंकि पी. एस. सी. द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि जो उम्मीदवार 01.07.2001 और 01.07.2002 पर आयु के भीतर थे, उन्हें परीक्षा के लिए आयु के भीतर माना जाएगा।निस्संदेह, बहिष्कृत उम्मीदवार विज्ञापनों के अनुसार योग्य आयु के थे, लेकिन सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार की जा सकती है और विज्ञापन में त्रुटि, यदि कोई हो, नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकती है और उम्मीदवार के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं कर सकती है, यदि अन्यथा नियमों के अनुसार पात्र नहीं है।आयु में छूट केवल नियमों के तहत अनुमेय दी जा सकती है न कि विज्ञापन के आधार पर।यदि पी. एस. सी. द्वारा विज्ञापन जारी करने के समय नियमों की व्याख्या गलत थी, तो उसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।इसलिए, प्रश्न का उत्तर नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा।”

पंजीकरण)

एफ.

जी.

एच.

23.यह भी रिकॉर्ड में आया है कि हालांकि मनोवैज्ञानिक के पद को सरकारी आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा मृत संवर्ग के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में पदों को एक अन्य सरकारी आदेश दिनांक 17.08.2010 द्वारा पुनर्जीवित किया गया था।2009 के नियमों, अर्थात् उत्तर प्रदेश समाज कल्याण शिक्षक सेवा विभाग नियम, 2009 का संदर्भ दिया गया है, जिसकी वर्तमान मामले में मुद्दे के संबंध में कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है क्योंकि वर्तमान मामले में नियुक्ति 1991 के नियमों के अनुसरण में की गई थी और विज्ञापन दिनांकित था।मनोवैज्ञानिक के पद के लिए चुने जाने के बाद अपीलार्थी को विज्ञापन और नियमों की गलत व्याख्या पर नियुक्ति पत्र जारी करने से अवैध रूप से इनकार कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने उसे मनोवैज्ञानिक के पद पर नियुक्त करने का निर्देश जारी करने का मामला बनाया है।24. हम, इस प्रकार, प्रत्यर्थियों को निर्देश देते हैं कि वे मनोवैज्ञानिक के पद पर दिनांकित विज्ञापन के विरुद्ध अपीलार्थी के चयन के अनुसरण में उस तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करें, जिस तारीख से इस आदेश की प्रति प्रत्यर्थियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बी.

सी.

डी.

25. उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करना दिया जाता है और तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी अपीलों को अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.